राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक के पास, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष सं. 0141–2222403, 2222805, बेवसाईट : www.cmar-india.org, ई–मेल : dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : एफ.55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/19/बाढ़ बचाव/ 15823-16034 दिनांक : 22.4.19

1. आयुक्त,
   राजस्थान आवासन मण्डल,
   जयपुर।
2. आयुक्त,
   जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
   जयपुर, जोधपुर, अजमेर।
3. सचिव,
   नगर विकास न्यास,
   समस्त राजस्थान।
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर निगम/परिषद/पालिका,
   समस्त राजस्थान।

विषय : मानसून से पूर्व शहरी क्षेत्रों में नाले–नालियों की सफाई करने एवं नालो के मलबे–कचरे को उठाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : विभाग के पूर्व समसंख्यक : 43027–050 दिनांक 30.05.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषय में प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि मुख्य सचिव महोदय ने बाढ़ व अतिवृष्टि से बचाव हेतु मानसून से पूर्व शहरों के नाले–नालियों की सफाई करने एवं नाले–नालियों से निकले कचरे–मलबे को अविलम्ब उठाने हेतु त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि वर्षा/मानसून पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

- शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में वर्षाती पानी की निकासी वाले नाले/नालियों की वर्षा से पूर्व सम्पूर्ण सफाई सुनिश्चित कर ली जावे। नालों–नालियों से निकलने वाले मलबा, कचरा (गीला/सूखा) को तुरन्त उठाया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि नालों की सफाई करने के पश्चात् उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से पुनः ढ़कने की व्यवस्था शीघ्र की जावे। यह कार्यवाही दिनांक 15 जून, 2019 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे।
- सड़कों पर फेले मलबा, कचरा को भी अविलम्ब हटाने की कार्यवाही की जावे, ताकि पानी के बहाव में रूकावट नहीं हो। नालों से निकलने वाले सिल्ट–मलबा को निचले इलाकों (Low Laying Area) के भराव में उपयोग में लिया जा सकता है।
- सड़कों व अन्य छोटी नालियों से बड़े नालों में पानी के प्रवेश के रास्तों/मौखों (Opening) पर लोहे के जाल/जाली लगाई जावे, जिससे ठोस कचरा, प्लास्टिक आदि नालों में नहीं जा पावें।

- सड़क पर बने हुए नाला–नालियों के क्रासिंग पर व आबादी क्षेत्र में खुले नालों को फेरोकवर आदि से तुरन्त ढकाव किया जावे।
- शहरों में नालियों व नालों की सफाई के अभाव में पानी के बहाव में रूकावट (Water Logging) ना हो। पानी की रूकावट के कारण बाढ़ की स्थिति ना बनें।
- सीवरेज लाईन के मैनहॉल्स की सफाई एवं आवश्यक मरम्मत वर्षा काल शुरू होने से पूर्व करवाना सुनिश्चित करें। मैनहॉल्स की सफाई के बाद मैनहॉल्स को कवर्स से ढ़काव करना सुनिश्चित करें। कोई भी मैनहॉल खुला हुआ नहीं रहे। मैनहॉल्स व नालियों की सफाई के दौरान वहां पर चेतावनी के बोर्ड लगवाये जावे।
- शहर के निचले इलाकों (Low Laying Area) कच्ची बस्तियों में नालों में इकट्ठे कचरे/मलबे, कीचड़/गंदगी एवं सड़कों पर जमा मलबा/कचरा व भरे हुये पानी को निकालने की व्यवस्था अभी से ही कर ली जावें। शहर के वर्षाती पानी की निकासी वाले नाले/नालियों की वर्षा से पूर्व सम्पूर्ण सफाई सुनिश्चित कर ली जावे।

अतः इस सम्बन्ध में लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही अविलम्ब करते हुये अब तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट से संलग्न प्रपत्र में विभाग को ई–मेल : cedlbjp@gmail.com पर पाक्षिक रूप से अवगत करावें।

संलग्न : प्रपत्र–एक।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/19/बाढ़ बचाव/16635 16295 दिनांक : 22.4.13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
06. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर।
07. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर।
08. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर।
09. सिस्टम एनालिस्ट, IT अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
10. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रिन्ट मीड़िया में प्रकाशनार्थ।
11. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

D:\DLB\Degaster Managment\Letters.doc.doc